न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 204/16 (वाद) (पुराने नम्बर 108/08)
GCMS No. : 2016/00583

अनवान

1. श्री जगन्नाथ पिता पेमा खटीक निवासी खेमली तहसील घासा।
2. श्री धनराज पिता हकमा खटीक निवासी खेमली तहसील घासा।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री उदयलाल पिता दीपा खटीक मृतक के बजाय :–

1/1 श्रीमती प्रेमीबाई पत्नी राकेश खटीक निवासी खेमली हाल थूर तहसील बडगांव।

1/2 श्रीमती गुड्डी बाई पत्नी राकेश खटीक निवासी खेमली हाल थूर तहसील बडगांव।

1/3 श्रीमती रेखा पुत्री उदयलाल पत्नी निमीचन्द खटीक निवासी खेमली हाल सारोल तहसील नाथद्वारा।

1/4 श्रीमती गीता बाई पत्नी उदयलाल खटीक निवासी खेमली तहसील घासा।

2. श्री दयाराम पिता रूपा खटीक निवासी खेमली गांव तहसील मावली।
3. श्री रामचन्द पिता हकमा खटीक निवासी खेमली गांव तहसील मावली।
4. श्री पुष्कर पिता हकमा खटीक निवासी खेमली गांव तहसील मावली।
5. श्री वरदीचन्द पिता पेमा खटीक मृतक के बजाय :–

5/1 श्री रामेश्वर पिता वरदीचन्द खटीक निवासी खेमली गांव तहसील मावली।

5/2 श्री कैलाश पिता वरदीचन्द खटीक निवासी खेमली गांव तहसील मावली।

5/3 श्री हरीश पिता वरदीचन्द खटीक निवासी खेमली गांव तहसील मावली।

5/4 श्रीमती लच्छीबाई पत्नी वरदीचन्द खटीक निवासी खेमली तहसील मावली।

5/5 श्रीमती दुर्गाबाई पुत्री वरदीचन्द पत्नी गोपाल खटीक निवासी खेमली हाल थूर तहसील बडगांव।

6. श्री लक्ष्मण पिता पेमा खटीक निवासी खेमली गांव तहसील मावली।
7. श्री गोटिया उर्फ प्रताप पिता पेमा खटीक मृतक के बजाय :–

7/1 श्रीमती बेबी पुत्री गोटिया उर्फ प्रताप पिता पेमा खटीक निवासी खेमली स्टेशन हाल प्रतापनगर उदयपुर।

7/2 श्रीमती अन्शी पुत्री गोटिया उर्फ प्रताप पत्नी गेहरीलाल खटीक निवासी खेमली हाल सांगवा तहसील घासा।

7/3 श्रीमती नीमा पुत्री गोटिया उर्फ प्रताप पत्नी रमेश खटीक निवासी सांगवा तहसील घासा।

7/4 श्रीमती सोसरबाई पत्नी गोटिया उर्फ प्रताप खटीक निवासी खेमली गांव तहसील मावली।

8. श्रीमती केसीबाई पिता हकमा खटीक निवासी खेमली तहसील घासा।
9. श्री रोशनलाल पिता हकमा खटीक निवासी खेमली गांव तहसील घासा।
10. गीताबाई पिता हकमा खटीक निवासी खेमली गांव तहसील घासा।
11. श्रीमती पार्वतीबाई पत्नी तुलसीराम खटीक निवासी खेमली गांव तहसील घासा।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)
13. श्री नारूलाल पिता भेरूलाल खटीक निवासी 42 आदर्श नगर अभिनव स्कूल के पास तहसील गिर्वा।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री रोशनलाल डांगी, अधिवक्ता वादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 10.02.2026

1. वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खेमली तहसील मावली की आराजी नम्बर 2384, 2385, 2400 किता 3 कुल रकबा 16 बीघा 1 बिस्वा स्थित है जिसके पुराने नम्बर 1168/1 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा था।
2. यह कि वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 से 10 का सजरा निम्न प्रकार है :–

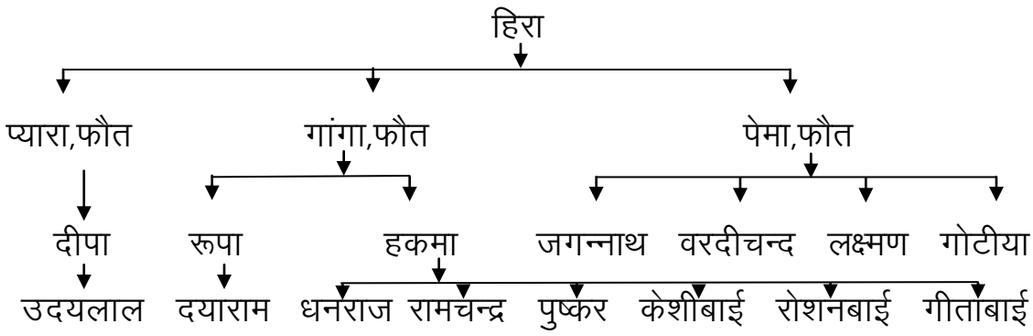

3. यह कि वाद पत्र में वर्णित आराजी नम्बर 1168/1 पूर्व में गैर खातेदारी से दर्ज थी तथा प्यारा, गांगा एवम् पेमा को खातेदारी अधिकार में एलोट हुई। एलोटमेन्ट अनुसार उक्त आराजीयात में प्यारा, गांगा एवं पेमा का 1/3–1/3 हिस्सा एलोट हुआ एवम् उसी अनुसार इनका उक्त आराजीयात में हिस्सा रहा। गांगा के निधन के बाद गांगा की जमीन पर 1/2 हिस्सा रूपा एवम् 1/2 हिस्सा हुकमा का रहा। हुकमा व रूपा के निधन के पश्चात् इनका हिस्सा वादी

धनराज एवम् प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का हिस्से अनुसार रहा। पेमा के हिस्से की जमीन पर उसके निधन के पश्चात् वादी जगन्नाथ एवम् प्रतिवादी वरदीचन्द, लक्ष्मण, गोरिया उर्फ प्रताप का हिस्से अनुसार कब्जा रहा अर्थात् उक्त वर्णित आराजीयात के 1/3 हिस्से पर गांगा के वारिस तथा 1/3 हिस्से पर पेमा के वारिस काबिज रहे। प्यारा, गांगा, पेमा के नाम दर्ज होने की नामान्तरण पंजिका संलग्न हैं।

4. यह कि राजस्व विभाग की लापरवाही से वर्तमान में उक्त जमीन का 1/2 हिस्सा प्यारा के वारिस, 1/4 हिस्सा गांगा के वारिस 1/4 हिस्सा पेमा के वारिस के नाम दर्ज कर दिया जबकि गांगा, पेमा एवम् प्यारा का पूर्व में 1/3–1/3 हिस्सा होने से उसी अनुसार दर्ज होना चाहिए था। गलत तरीके से प्यारा के वारिसों के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज हो जाने के कारण नाजायज रूप से फायदा उठाकर प्रतिवादी उदयलाल ने उक्त वर्णित जमीन में उदयलाल के नाम गलत रूप से दर्ज करा उदयलाल ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादीया पार्वती को विक्रय कर दिया जबकि उसे विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था। वाद वर्णित जमीन प्यारा, गांगा व पेमा के बराबर हिस्से की होने से वर्तमान में भी उनके वारिसों के नाम हिस्से अनुसार दर्ज होनी चाहिए थी एवम् उक्त वर्णित कुलिया आराजीयात के 2/3 हिस्से पर वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 2 से 7 काबिज है एवम् प्रतिवादी संख्या 8 से 10 के नाम दर्ज जमीन प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के कब्जे में है इसी अनुसार वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के नाम दर्ज होनी चाहिए थी चूंकि प्रतिवादी संख्या 8 से 10 का हिस्सा भी वादी धनराज एवम् प्रतिवादी संख्या 3 व 4 में निहित हो गया।

5. यह कि वादीगण का प्राइमाफैसी केस है तथा सुविधा संतुलन एवम् अशोधनीय क्षति के बिन्दु भी वादीगण के पक्ष में है चूंकि वादीगण को गांगा व पेमा की विरासत से जमीन मिली है परन्तु राजस्व विभाग की लापरवाही से गांगा एवम् पेमा का कुछ हिस्सा प्यारा के नाम दर्ज हो गया जिसका प्यारा के वारिस उदयलाल ने नाजायज फायदा उठाकर पार्वती के नाम विक्रय पत्र लिख दिया जो अपने आपमें नल एण्ड वोईड है तथा इस गलत विक्रय पत्र के आधार पर खुले नामान्तकरण को वादीगण निरस्त करवाने के अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण उक्त जमीन किसी अन्य को हस्तान्तरण करने पर उतारू है इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराया जाना आवश्यक है स्थायी

निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से प्रतिवादीगण उक्त जमीन को अन्य को हस्तान्तरण कर देंगे तो वादीगण को भारी अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाना असंभव होगा तथा गांगा व पेमा का 2/3 हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 से 6 विरासत अनुसार उनके नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हैं।

6. यह कि वादीगण ने प्रतिवादी उदयलाल को कहा कि उसके नाम गलत तरीके से जमीन दर्ज हो गई है इसलिए वह उस जमीन का इन्द्राज दुरस्त करवा ले परन्तु उदयलाल ने वादीगण की बात नहीं मानी तथा उसके नाम गलत दर्ज हिस्सा पार्वती को विक्रय कर दिया जिससे वादीगण को यह वाद प्रस्तुत करना पड रहा हैं। प्रतिवादी उदयलाल द्वारा अपना गलत इन्द्राज हिस्सा प्रतिवादी पार्वती को विक्रय करने से तथा दिनांक 25.04.2008 को पार्वती के द्वारा जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश करने से वाद कारण उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि वाद पत्र में वर्णित स्व. गांगा के 1/3 हिस्से में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी दयाराम के नाम दर्ज किया जावे तथा शेष 1/2 हिस्सा वादी धनराज एवम् प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 8 से 10 का हिस्सा वादी धनराज व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम दर्ज किया जावें। वाद पत्र में वर्णित जमीन में स्व. पेमा का 1/3 हिस्सा वादी नम्बर 1 जगन्नाथ व प्रतिवादी संख्या 5 से 7 के नाम दर्ज किया जावें। वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में 1/2 हिस्से से दर्ज पार्वती का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जावे क्योंकि प्यारा का 1/3 हिस्सा होने से उदयलाल को 1/2 हिस्सा विक्रय करने का अधिकार नहीं हैं। वादीगण के पक्ष में विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे, तथा वादीगण को उक्त जमीन का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे उसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 11, 13 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि जमीन गांगा, प्यारा, पेमा को भूमि एलोट हुई। यह कही अंकन नहीं है कि कब ओर किस साल एलोट हुई। वादीगण ने जिस तरह क्रमशः हुकमा व

रूपा के मरने के बाद हिस्से दर्शाए है वे गलत हैं। वादीगण ने जिस तरह 1/3 हिस्सा लिखा है वह गलत हैं। दौराने सेटलमेन्ट पक्षकारों के मध्य फर्द इन्तकाल नम्बर 1769/73 दिनांक 25.09.73 में हिस्सा कर मौके पर कब्जे अनुसार रेकार्ड में अंकन कर दिया जिसमें सभी पक्षकारों की सहमति से फ.इ. पास हुआ उससे सभी पाबंद है जब तक सभी जीवित रहे तब तक वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौन रहे उनके मरने के बाद अब दावा लाये है जो कानूनन स्टोप्ड्र हैं।

8. यह कि प्रतिवादी उदयलाल का जितना हिस्सा रेकार्ड एवं मौके पर कब्जा था वह सही विक्रय किया हैं। वादीगण का कोई प्राइमाफैसी केस नहीं है, न ही सुविधा संतुलन भी वादीगण के पक्ष में नहीं है, न रेवेन्यु एजेन्सी ने कोई गलती की हैं। मौके पर आपसी सहमति से दिनांक 25.09.73 को इन्द्राज कराया जिसे 44 वर्ष होने आये है अगर वे सहमत नहीं होते तो उसे उसी समय दुरस्त कराते। पिछले 44 वर्ष पूर्व बंटवाडा हो चुका हैं और उसी अनुसार काबिज है अब उसे चेलेन्ज करने का कोई अधिकार नहीं हैं। वादीगण को किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है न इन्द्राज दुरस्ती कराने के अधिकारी हैं। वादीगण ने कभी भी नहीं कहा प्रतिवादी उदयलाल ने जमीन विक्रय कर दी एवं कब्जा सौंप दिया। उसके काफी समय बाद वाद लाया गया। यह द्वेशतावश वाद पत्र पेश किया है। कोई बिनाय वाद दिनांक 25.04.08 को उत्पन्न नहीं हुआ हैं। इस्तदुआ वादीगण गलत है वाद गलत तथ्यों के आधार पर पेश हुआ है इसलिए वादीगण किसी प्रकार की रिलीफ पाने के अधिकारी नहीं हैं। वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावे एवं विशेष हर्जाना 5000/– रूपया धारा 35 क के तहत् प्रतिवादी उदयलाल को दिलाया जावें।

9. विपक्षी संख्या 1 फौत होने से विपक्षी संख्या 1 के वारिसान को रेकार्ड पर लिया गया। जरिये सूचना पत्र वारिसान को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही होने से प्रकरण में तनकीयात कायमी की आवश्यकता नहीं रहती हैं। प्रकरण में साक्ष्य वादीगण प्रारम्भ की गई। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र गवाह पीडब्ल्यू 1 धनराज, गवाह पीडब्ल्यू 2 श्री रोशनलाल के पेश किए गए। गवाह पीडब्ल्यू 1 धनराज द्वारा दस्तावेज

मौजा खेमली की नकल जमाबन्दी महकमा बन्दोबस्त राज्य मेवाड उदयपुर सम्वत् 1984 प्रदर्श 1, मौजा खेमली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2019–22 प्रदर्श 2, पटवारी हल्का खेमली का प्रार्थना पत्र मय नक्शा दिनांक 04.02.73 पेज 1 से 2 प्रदर्श 3, मौजा खेमली के नामान्तरकरण संख्या 279 की नकल प्रदर्श 4, नामान्तरकरण संख्या 280 की नकल प्रदर्श 5, मौजा खेमली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2023–26 प्रदर्श 6, मौजा खेमली का मिलान पत्रक सम्वत् 2021 पेज 1 से 3 प्रदर्श 7, नकल खसरा परिशोधन पत्र भू प्रबन्ध विभाग प्रदर्श 8, सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी उदयपुर की पत्रावली संख्या 1769/73 की नकल पेज 1 से 3 प्रदर्श 9, मौजा खेमली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2062–65 की खाता संख्या 113 प्रदर्श 10 पेश किये। प्रकरण में अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए वादीगण के वाद को स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

10. हमने अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ग्राम खेमली पटवार हल्का खेमली तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2062 से 2065 की खाता संख्या 113 पर दर्ज आराजी नम्बर 2384, 2385, 2400 कुल किता 3 रकबा 16 बिघा 1 बिस्वा भूमि धनराज, रामचन्द्र पुष्कर, केसीबाई, रोशनबाई, गीताबाई पिता हुक्मा, कंकु बाई पत्नी हुक्मा 1/8, दयाराम मुतबना रूपा 1/8, उदा पिता दिपा 1/2, वरदा, लच्छा, गोरिया, जगा पिता पेमा 1/4 हि.ब. खटिक सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। भू–प्रबंध विभाग के मिलान पत्रक अनुसार उक्त हाल आराजी नम्बर 2384, 2385, 2400 के साबिक आराजी नम्बर 1168/1 थे। साबिक नकल जमाबंदी संवत 2023–26 पर दर्ज साबिक आराजी नम्बर 1168/1 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्यारा, गांगा, पेमा पिता हीरा के नाम दर्ज थी। वादीगण का कथन है कि भू–प्रबंध की कार्यवाही के दौरान साबिक आराजी नम्बर 1168/1 के हाल आराजी नम्बर 2384, 2385, 2400 दर्ज करते हुए विरासत से दीपा पिता प्यारा, हुक्मा, रूपा पिता गांगा, पेमा पिता हीरा के नाम दर्ज की गई। दीपा, गांगा पेमा पिता हीरा के नाम सेटलमेंट से पूर्व 1/3–1/3 हिस्से से दर्ज थी जिससे सेटलमेंट पश्चात बिना किसी आदेश के विरासत के नामान्तरकरण की आड़ में हिस्से बदलते हुए प्यारा के

वारिसान का 1/2 हिस्सा, गांगा के वारिसान का 1/4 हिस्सा, पेमा पिता हिरा का 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया गया। न्यायालय वादीगण के इस कथन से संतुष्ट नही है। इस संबंध में न्यायालय द्वारा वादीगण स्वयं द्वारा प्रस्तुत भू–प्रबंध विभाग के मिलान पत्रक का अवलोकन किया गया। भू–प्रबंध विभाग के मिलान पत्रक के कॉलम संख्या 25 विशेष विवरण में नामान्तरकरण संख्या 187 का अंकन किया गया है जो विरासत का नामान्तरकरण है। जिसकी प्रति स्वयं वादीगण द्वारा भी प्रस्तुत की गई। वादीगण द्वारा प्रस्तुत मिसल नम्बर 1769/73 के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जो गांगा के वारिस हुक्मा द्वारा दिया गया है उसमें स्वयं हुक्मा ने वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा ही निहित बताते हुए अपना एवं अपने भाई का नाम दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया है। इससे स्पष्ट हो चुका है वादी संख्या 2 के भाई द्वारा स्वीकार किया जा चुका था की उनके पिता का वादग्रस्त भूमि में 1/4 ही हिस्सा निहित है उसी हिस्से अनुसार सेटलमेंट विभाग द्वारा उनके हिस्से दर्ज किये गये है। उसी हिस्से अनुसार वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम 35 वर्षो तक चली आ रही थी। इससे स्पष्ट जाहीर होता है कि वादीगण द्वारा भी उक्त हिस्सो को स्वीकार कर लिया था। यदि वादीगण इन हिस्सो को स्वीकार नही करते तो अवश्य ही भू–प्रबंध कार्यवाही के तत्काल पश्चात न्यायालय में वाद दायर करते। लेकिन वादीगण द्वारा ऐसा नही किया और भू–प्रबंध में दर्ज किये गये हिस्सेनुसार काश्त करते रहे। उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को विक्रय कर दिया गया। विक्रय करने के पश्चात वादीगण द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत किया गया। जिससे जाहीर होता है कि वादीगण द्वारा केवल मात्र सद्भावी क्रेता को परेशान करने की नियत से वाद प्रस्तुत किया गया है। यदि उनके हिस्से संबंधी विवाद होता तो अवश्य ही विक्रय करने से पूर्व न्यायालय में वाद प्रस्तुत करते। साथ ही विक्रय पत्र निरस्त करवाने की भी कार्यवाही करते। परन्तु वादीगण द्वारा ऐसा नही किया गया। वादी संख्या 2 के भाई द्वारा भू–प्रबंध विभाग के समक्ष प्रार्थना पत्र में अन्य आराजीयात का भी वर्णन किया गया है जिसके संबंध में वादीगण द्वारा कोई वर्णन नही किया गया। यदि हिस्से संबंधी त्रुटि होती तो वादीगण अन्य आराजीयात का भी वाद पत्र में वर्णन करते हुए साबित कराने का प्रयास करते। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद खारिज योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री जगन्नाथ पिता पेमा खटीक निवासी खेमली तहसील घासा।
2. श्री धनराज पिता हकमा खटीक निवासी खेमली तहसील घासा।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री उदयलाल पिता दीपा खटीक मृतक के बजाय :–

1/1 श्रीमती प्रेमीबाई पत्नी राकेश खटीक निवासी खेमली हाल थूर तहसील बडगांव।

1/2 श्रीमती गुड्डी बाई पत्नी राकेश खटीक निवासी खेमली हाल थूर तहसील बडगांव।

1/3 श्रीमती रेखा पुत्री उदयलाल पत्नी निमीचन्द खटीक निवासी खेमली हाल सारोल तहसील नाथद्वारा।

1/4 श्रीमती गीता बाई पत्नी उदयलाल खटीक निवासी खेमली तहसील घासा।

2. श्री दयाराम पिता रूपा खटीक निवासी खेमली गांव तहसील मावली।
3. श्री रामचन्द पिता हकमा खटीक निवासी खेमली गांव तहसील मावली।
4. श्री पुष्कर पिता हकमा खटीक निवासी खेमली गांव तहसील मावली।
5. श्री वरदीचन्द पिता पेमा खटीक मृतक के बजाय :–

5/1 श्री रामेश्वर पिता वरदीचन्द खटीक निवासी खेमली गांव तहसील मावली।

5/2 श्री कैलाश पिता वरदीचन्द खटीक निवासी खेमली गांव तहसील मावली।

5/3 श्री हरीश पिता वरदीचन्द खटीक निवासी खेमली गांव तहसील मावली।

5/4 श्रीमती लच्छीबाई पत्नी वरदीचन्द खटीक निवासी खेमली तहसील मावली।

5/5 श्रीमती दुर्गाबाई पुत्री वरदीचन्द पत्नी गोपाल खटीक निवासी खेमली हाल थूर तहसील बडगांव।

6. श्री लक्ष्मण पिता पेमा खटीक निवासी खेमली गांव तहसील मावली।
7. श्री गोटिया उर्फ प्रताप पिता पेमा खटीक मृतक के बजाय :–

7/1 श्रीमती बेबी पुत्री गोटिया उर्फ प्रताप पिता पेमा खटीक निवासी खेमली स्टेशन हाल प्रतापनगर उदयपुर।

7/2 श्रीमती अन्शी पुत्री गोटिया उर्फ प्रताप पत्नी गेहरीलाल खटीक निवासी खेमली हाल सांगवा तहसील घासा।

7/3 श्रीमती नीमा पुत्री गोटिया उर्फ प्रताप पत्नी रमेश खटीक निवासी सांगवा तहसील घासा।

7/4 श्रीमती सोसरबाई पत्नी गोटिया उर्फ प्रताप खटीक निवासी खेमली गांव तहसील मावली।

8. श्रीमती केसीबाई पिता हकमा खटीक निवासी खेमली तहसील घासा।
9. श्री रोशनलाल पिता हकमा खटीक निवासी खेमली गांव तहसील घासा।
10. गीताबाई पिता हकमा खटीक निवासी खेमली गांव तहसील घासा।
11. श्रीमती पार्वतीबाई पत्नी तुलसीराम खटीक निवासी खेमली गांव तहसील घासा।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)
13. श्री नारूलाल पिता भेरूलाल खटीक निवासी 42 आदर्श नगर अभिनव स्कूल के पास तहसील गिर्वा।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 204/16 (वाद) (पुराने नम्बर 108/08)
GCMS No. : 2016/00583

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10.02.2026 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली